प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः e-458/वि0क0/यो0/आवंटन/2012-13 : लखनऊ दिनांक : 12 मई, 2012

विषयः- वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत प्रथम चार माह के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रु0 69,90,000/- (रु0 उनहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न परिशिष्ट में दिये गये जनपदवार आवंटन/फॉट के अनुसार प्रथम चार माहों के लिये आपके निवर्तन पर रखी जाती है। उक्त आवंटन शासनादेश संख्या 532/65-2-2012-8(बजट)/2012 दिनांक 09 मई, 2012 के अनुपालन में जारी किया जा रहा हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक " **2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)** " के नामे डाला जायेगा।

7- उक्त आवंटन निदेशालय की अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0 45 पर अंकित हैं।

भवदीय,

(हरि लाल पासी)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः

<u>प्रतिलिपिः-</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विकलांग कल्याण अनुभाग-2।
3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
6 समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, विकलांग कल्याण/समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7 समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
8 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1
9 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1

12/5/2012
(नारेन्द्र सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

आदेश संख्या– C-458 / वि0क0 / यो0 / आवंटन / 2011–12 दिनांक 12 मई, 2012 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार (आयोजनेत्तर)

क्रमांक	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	आवंटित धनराशि
1	2	3	4
1	आगरा	10	150.00
2	मैनपुरी	10	150.00
3	मथुरा	4	60.00
4	फिरोजाबाद	4	60.00
	आगरा मण्डल का योग	**28**	**420.00**
5	अलीगढ़	6	90.00
6	महामाया नगर	9	135.00
7	एटा	4	60.00
8	कांशीराम नगर	4	60.00
	अलीगढ़ मण्डल का योग	**23**	**345.00**
9	झांसी	11	165.00
10	ललितपुर	2	30.00
11	जालौन	23	345.00
	झांसी मण्डल	**36**	**540.00**
12	हमीरपुर	4	60.00
13	महोबा	2	30.00
14	बांदा	4	60.00
15	चित्रकूट	4	60.00
	चित्रकूटधाम मण्डल	**14**	**210.00**
16	लखनऊ	16	240.00
17	रायबरेली	4	60.00
18	हरदोई	9	135.00
19	उन्नाव	13	195.00
20	सीतापुर	8	120.00
21	खीरी	5	75.00
22	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर	6	90.00
	लखनऊ मण्डल का योग	**61**	**915.00**
23	बरेली–	16	240.00
24	बदायू–	7	105.00
25	पीलीभीत–	12	180.00
26	शाहजहांपुर–	8	120.00
	बरेली मण्डल का योग	**43**	**645.00**